न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 35/2020/दावा/बउनवान/ओमप्रकाश वगै0 बनाम ज्ञानचरण वगै0

जीसीएमएस संख्या 2020/00137

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री गोविन्द जाति मीणा निवासी महुआ की ओपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. भवानीशंकर पुत्र श्री गोविन्द जाति मीणा निवासी महुआ की ओपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. पार्वतीबाई पुत्री श्री गोविन्द जाति मीणा निवासी महुआ की ओपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
4. बनारसीबाई पत्नि श्री गोविन्द जाति मीणा निवासी महुआ की ओपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. चौधराबाई पुत्री श्री रामकरण जाति मीणा निवासी महुआ की ओपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. तस्वीरबाई पुत्री श्री रामकरण जाति मीणा निवासी महुआ की ओपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. ज्ञानचरण पुत्र श्री किशोर जाति मीणा निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. विशनीबाई पत्नि स्व. श्री किशोर जाति मीणा निवासी मूण्डला मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील प्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील अप्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांक : 27.10.2020

निर्णय दिनांक : 24.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि प्रार्थीगण ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 के निवासी है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं।
2. यह कि प्रार्थीगण के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 49 पुराना 50 खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 1014 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 863 रकबा 0.33 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हे0, वाके ग्राम मूण्डला पटवार हलका छत्रपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है जो भूमिया सम्वत् 2076–2079 जमाबन्दी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम बतौर शामलाती खाते दर्ज है।
3. यह कि जिसमें प्रार्थी क्रम 1 ता 4 का हिस्सा 1/6 व प्रार्थी क्रम 5 ता 6 का हिस्सा 1/3 तथा अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा सम्पूर्ण खाते

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

में 1/6 निहित है। इस प्रकार सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 1/2–1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

4. यह कि प्रार्थीगण का पारिवारिक राजस्व निम्न प्रकार से है

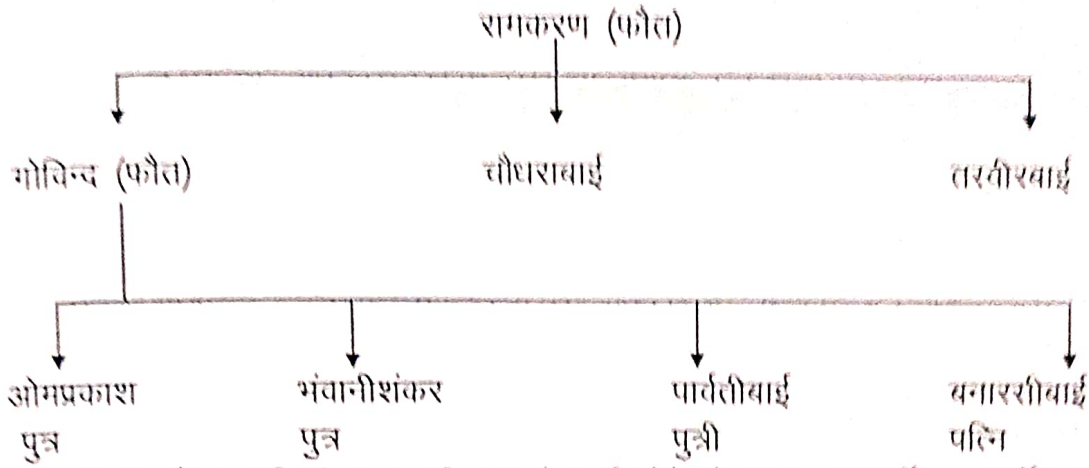

5. यह कि उपरोक्त भूमियां शामलाती रुप से दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की हिस्से की भूमि 0.64 हे0 में से खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, तथा खसरा नं0. 1014 रकबा 0.09 हे0, जो कब्जे काश्त में है उसको जबरन कब्जा करना चाहते हैं और लडाई–झगडा करने पर आमादा रहते हैं जिनको उसका कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है इस कारण प्रार्थीगण को अपने हिस्से भूमि में काश्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

6. यह कि उक्त भूमियां शामलाती रुप से दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण ताकत के बल पर नाजायज रुप से प्रार्थीगण की हिस्से की भूमियों में काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अनेक बार मौखिक रुप से निवेदन किया कि उक्त शामलाती भूमि को अपना–अपना हिस्सा पृथक रुप से दर्ज करवा ले जिससे कि कोई लडाई–झगडा न हो लेकिन अप्रार्थीगण उक्त भूमियों को पृथक–पृथक दर्ज करवाने में सहमत नहीं है ताकि वह प्रार्थीगण की भूमियों पर कब्जा कर सके।

7. यह कि दिनांक 23.10.2020 को जब प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमियों पर फसल बोने की तैयारी को लेकर जमीन हांकने व जोतने गये तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि उक्त भूमियां अगर तुमने काश्त की तो तुम्हे जान से खत्म कर देगे जबकि प्रार्थीगण उक्त मद नं0. 2 में वर्णित वाद–पत्र में स्थित भूमियों के रिकार्डेड खातेदार हैं, इस कारण अप्रार्थीगण को गैर कानूनी रुप से काश्त करने में व्यवधान पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को गेर कानूनी व अवैधानिक रुप से गलत कार्य करने के कारण इस न्यायालय से ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना अति आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी व नालिसी भी है। अगर अप्रार्थीगण अपने गलत उद्देष्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भूखे मरने की स्थिति आ जावेगी व दीगर मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है।

8. यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अनेक बार निवेदन किया कि अपनी शामलाती भूमि ग्राम मूण्डला में स्थित 0.64 हे0, पृथक–पृथक दर्ज करवाले लेकिन उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और शामलाती भूमि होने के कारण उक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की नीयत से दिनांक 23.10.2020 को धमकी दी कि उक्त भूमियों पर कसी प्रकार की काश्त नहीं करना अन्यथा जान से खत्मकर देंगे इसलिए उक्त भूमियां किसी भी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रकार से शमलाती रखना संभव नहीं है तथा अन्तिम बार दिनांक 23.10.2020 धमकी देने व भूमियां पृथक दर्ज नहीं करवाने के कारण माननीय न्यायालय में खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत करना पड रहा है।

9. यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रार्थीगण हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण मौखिक विभाजन अनुसार हिस्सा 1/2 की भूमि खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, तथा खसरा नं0 1014 रकबा 0.09 हे0, पर काबिज काश्त है तथा अपने पिता के समय से ही काश्त कर रहे है अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण की अधिक है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने में सफल हो गये जो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं होगा।
10. यह कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में स्थित होने से प्रार्थना–पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है तथा प्रार्थना–पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।
11. यह कि अन्य कारण दौराने बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि ग्राम मूण्डला पटवार क्षेत्र छत्रपुरा तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 49 पुराना 50 खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 1014 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 863 रकबा 0.33 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हे0, जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/2 निहित है उसको कब्जे काश्त अनुसार खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 1014 रकबा 0.09 हे0, में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंन्दाजी नहीं करें प्रार्थीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 21.06.2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष आपत्तियाँ प्रस्तुत कि गई जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नंबर 1 स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नंबर 2 स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 में हिस्सा 1/2, 1/2 प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी क्रम 1 के दर्ज होना, राजस्व रिकार्ड मे स्वीकार है लेकिन समस्त आराजी किता 3 रकबा 0.64 हेक्टेयर पर प्रतिपक्षी क्रम 1 का शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है। इस आराजी पर वादीगण ने कभी भी काश्त नहीं किया है। खसरा नंबर 1033 रकबा 0.22 हेक्टेयर पर भी प्रतिपक्षी क्रम 1 का ही कब्जा काश्त है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 4 स्वीकार नहीं है। सजरा अधूरा है, वर्णित सजरे में रामकरण के बडे भाई किशोर का परिवार नहीं दर्शाया गया है। प्रतिपक्षी क्रम 1 किशोर का पुत्र है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 5 अस्वीकार है। पहले ही मद नंबर 3 में जवाब दे दिया गया है कि संपूर्ण आराजी पर प्रतिपक्षी क्रम 1 का कब्जा काश्त है। वैसे भी शामलाती भूमि पर विशेष खसरा नंबर पर कब्जा नहीं माना जाता है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 6 स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी क्रम 1 ने कभी भी कोई झगडा नहीं किया है, प्रतिपक्षी क्रम 1 गांव मूण्डला में जबकि प्रार्थीगण ग्राम महुआ में निवास करते है। संपूर्ण गांव मूण्डला जानता है कि प्रार्थीगण ग्राम मूण्डला की आराजी को काश्त करने नहीं आते है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 7 स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी क्रम 1 ने कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी है। प्रतिपक्षी क्रम 1 भी रिकार्डेड खातेदार है और सहखातेदार के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वैसे भी प्रार्थीगण का आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 8 स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को कोई प्रार्थना कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 9 स्वीकार नहीं है। विवादित वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती तथा किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 10 कानूनी है।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 11 का जवाब वक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार नही है।

विशेष कथन निम्नानुसार है :–

1. यह कि ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल के खाता क्रमांक 49 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1013 रकबा 0.22 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1014 रकबा 0.09 हेक्टेयर, एंव खसरा नंबर 863 रकबा 0.33 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हेक्टेयर पर प्रतिपक्षी क्रम 1 का गत 30 वर्षो से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण प्रतिपक्षी क्रम 1 के विरूद्ध किसी प्रकार स्थायी/अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते।
2. यह कि प्रार्थी एंव प्रतिपक्षी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

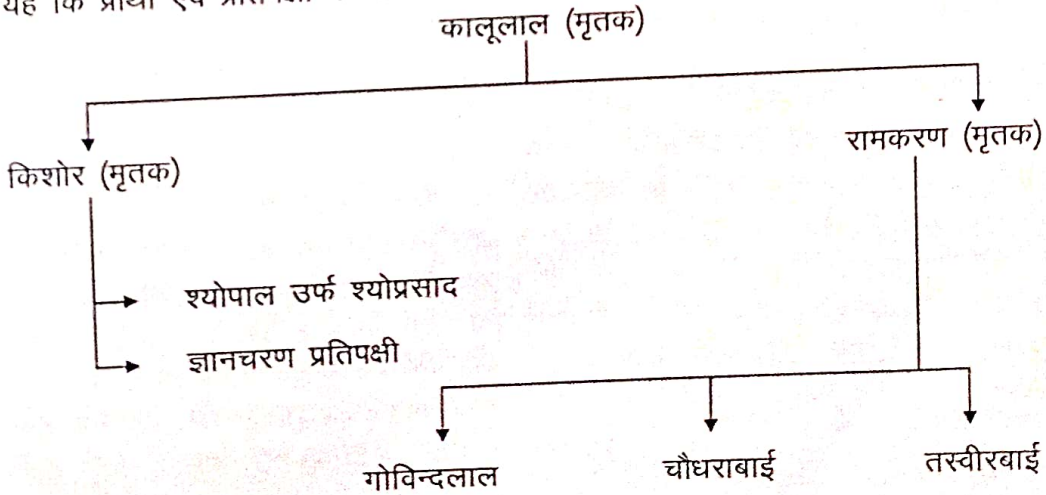

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

यह कि उपरोक्त सजरे को देखने से स्पष्ट है कि मृतक किशोर जी व मृतक रामकरण जी आपस मे सगे भाई थे, किशोर जी की मृत्यु प्रतिपक्षी की नाबालिग अवस्था में ही हो चुकी थी इसलिए प्रतिपक्षी व उसके भाई का बचपन अपने मामा के यहां ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में बीता था।

4. यह कि खाता विभाजन से दोनों भाई किशोर व रामकरण के पृथक–पृथक खाते में आराजी दर्ज की गई। किशोर जी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र ज्ञानचरण व शिव ग्राम बोरदा में प्रकाश के खाते में कुल किता 2 रकबा 3.56 हेक्टेयर आराजी ग्राम बोरदा में दर्ज की गई और ग्राम बोरदा रामकरण के खाते में कुल 2 किता रकबा 3.45 हेक्टेयर आराजी ग्राम बोरदा दर्ज की गई।

5. यह कि सेटलमेण्ट जमाबंदी ग्राम बोरदा व मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर जवाब के साथ पेश किये जा रहे हैं।

6. यह कि सम्वत 2075–78 ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल में खाता संख्या नया 44 पुराना 43 में आराजी खसरा नंबर 78 रकबा 0.81 हेक्टेयर खसरा नंबर 82 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 82/866 रकबा 0.33 हेक्टेयर, खसरा नंबर 83/776 रकबा 0.52 हेक्टेयर कुल 3.27 हेक्टेयर आराजी प्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते में दर्ज हो रही है जो कि गोविन्दलाल के वारिसान है, यहां यह उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 83/776 रकबा 0.52 हेक्टेयर आराजी सैटलमेण्ट जमाबन्दी सं0 2044–2063 मे रामकरण पुत्र कालू के खाते में दर्ज न होकर प्रतिपक्षी के खाते में दर्ज थी जो कि गलत दर्ज की गई है।

7. यह कि आये दिन लडाई–झगडा प्रतिपक्षी एवं प्रार्थीया क्रम 1 ता 4 व उसके पूर्व गोविन्दलाल से आराजी को लेकर होते रहते थे इसलिए प्रतिपक्षी व उसके भाई श्योपाल ने ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल की आराजी जो कि सैटलमेण्ट जमाबन्दी में दर्ज है, खसरा नंबर 79 रकबा 0.82 हैक्टेयर व खसरा नंबर 83 रकबा 2.74 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.56 हे0, को बेचने का मानस बना लिया। इस वर्णित आराजी में से खसरा नंबर 79 रकबा 0.82 हेक्टेयर आराजी खाता संख्या 69 में प्रतिपक्षी के खाते में दर्ज हो रही है तथा खसरा नंबर 83 रकबा 2.74 हेक्टेयर मे से खसरा नंबर 83/830 रकबा 0.18 हेटक्येयर आराजी प्रतिपक्षी के भाई श्योपाल ने परसराम पुत्र ईश्वरलाल मीणा को रजि0 बेचान कर दिया जो अभी खाता संख्या 90 ग्राम बोरदा में परसराम के खाते में दर्ज है तथा खसरा नंबर 83 रकबा 2.03 हैक्टेयर का रजि0 बेचान ईशरीलाल पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा को करने से आराजी खाता संख्या 8 में ईशरीलाल के खाते में दर्ज हो रही है।

8. यह कि खसरा नंबर 83 रकबा 2.74 हेक्टेयर वाके ग्राम बोरदा की आराजी में से खसरा नंबर 83 रकबा 2.03 हेक्टेयर का रजि0 बेचान हो जाने पर खसरा नंबर 83 बट्टा खसरा नंबर डालते हुए खसरा नंबर 83/776 रकबा 0.70 हेक्टेयर आराजी ग्राम बोरदा की प्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता गोविन्दलाल के खाते में दर्ज कर दी गई। यह आराजी राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश प्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता के खाते में दर्ज कर दी गई और गोविन्दलाल की मृत्यु के बाद यह आराजी खसरा नंबर 83/776 रकबा 0.52 हेक्टेयर खाता संख्या 44 में प्रार्थनी क्रम 1 ता 4 के खाते में दर्ज कर दी गई जबकि यह आराजी खसरा नंबर 83 रकबा 2.74 हेक्टेयर का हिस्सा थी और प्रतिपक्षी व उसके भाई श्योपाल उर्फ शिवप्रकाश के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

यह कि खसरा नंबर 83 रकबा 2.74 हेक्टेयर में से प्रतिपक्षी व उसके भाई द्वारा ईश्वरीलाल को 2.03 हेक्टेयर का रजि0 बेचान हो जाने पर खसरा नंबर 83 की 0.70 हेक्टेयर आराजी शेष रही थी जो इसी खाते में अर्थात प्रतिपक्षी के खाते मे दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने यह खसरा नंबर 83/776 डालकर रकबा 0.70 हेक्टेयर प्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता गोविन्दलाल के खाते में दर्ज कर दी जो कि त्रुटिवश दर्ज कर दी गई।

10. यह कि यह आराजी खसरा नंबर 83/776 रकबा 0.70 हेक्टेयर गोविन्दलाल के दर्ज होने पर विवाद उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात एक राजीनामा गोविन्दलाल व प्रतिपक्षी एंव उसके भाई शिवप्रकाश के मध्य हुआ जिसमे गोविन्दलाल ने 0.35 हेक्टेयर आराजी प्रतिपक्षी को देने को तैयार हो गया तथा शेष आराजी 0.35 हेक्टेयर गोविन्दलाल के खाते में ही रहेगी, समझौतानुसार 0.18 हेक्टेयर आराजी तो गोविन्दलाल ने शिवप्रकाश प्रतिपक्षी के भाई के खाते बंधवा दी और शिवप्रकाश ने परसराम को बेचान कर दी तथा शेष आराजी जो बची 0.35 हे0, में से 0.18 हेक्टेयर का बेचान (0.17) के लिए दिनांक 09.04.2009 को एक तहरीर गोविन्दलाल ने लिखी कि यह आराजी खसरा नंबर 83 रकबा 0.52 हैक्टेयर मेरे खाते में बोरदा में रह जायेगी इसके बदले में गोविन्दलाल खाता संख्या 49 ग्राम मूण्डला (छत्रपुरा) की आराजी खसरा नबर 1013 रकबा 0.22 हेक्टेयर को ज्ञानचरण (प्रतिपक्षी) के खाते में दर्ज करा देगा। खाता संख्या 49 ग्राम मूण्डला की कुल आराजी 0.64 हेक्टेयर आराजी पर प्रतिपक्षी का कब्जा चला आ रहा है लेकिन इसी मध्य लगभग दो वर्ष पूर्व गोविन्दलाल की मृत्यु हो जाने पर प्रतिपक्षी के उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 1013 रकबा 0.22 हेक्टेयर की रजि0 नहीं हो सकी।

11. यह कि गोविन्दलाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान समझौते पर कायम नहीं रहे और आराजी खसरा नंबर 1013 रकबा 0.22 हेक्टेयर आराजी वाके ग्राम मूण्डला को प्रतिपक्षी के खाते नहीं बंधा रहे है।

12. यह कि समझौता दिनांक 07.04.2009 की पालना प्रार्थीगण नहीं कर रहे है। यदि प्रार्थीगण समझौता दिनांक 07.04.2009 की पालना में खसरा नंबर 1013 रकबा 0.22 हेक्टेयर की रजि0 प्रतिपक्षी क्रम 1 के पक्ष में करवा देंगे तो प्रतिपक्षी क्रम 1 ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल की आराजी से अपना दावा हटा लेंगे लेकिन प्रार्थीगण के मन मे बदनियति आ जाने से प्रार्थीगण ग्राम बोरदा एंव ग्राम मूण्डला दोनो की आराजी रखना चाहते है जो संभव नही है।

13. यह कि प्रार्थीगण का खाता संख्या नया 49 पुराना 48 में दर्ज कुल आराजी 0.28 हेक्टेयर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षी के कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 49 में दर्ज आराजी 0.64 हेक्टेयर पर प्रार्थनीगण का कोई कब्जा नहीं है, इसके बदले प्रार्थीगण खाता संख्या 49 पर कब्जा करके काश्त कर रहे है।

14. यह कि प्रतिपक्षी क्रम 2 की मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र मे से नाम डिलीट किया जावे।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्ही तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 49 पुराना 50 खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 1014 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 863 रकबा 0.33 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हे0 आराजी में हिस्सा एवं कब्जे काश्त अनुसार खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 1014 रकबा 0.09 हे0 में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड सह खातेदार है। अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं एवं प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा करने पर न केवल प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर भूमि पर ताकत के बल पर अवैध कब्जा किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 1 व 2 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष 1 व 2 ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 49 पुराना 50 खसरा नं0 1013 रकबा 0.22 हे0, खसरा नं0 1014 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 863 रकबा 0.33 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हे0 आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना [illegible] (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल